न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज0)

पीठासीन अधिकारीः हनुमान सिंह राठौड़, आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः 184/2021

उनवान

पंकज कुमार पिता छगनलाल जैन जाति जैन निवासी लोहारीया तहसील गढी जिला बांसवाडा।

—: प्रार्थी

बनाम

(1) रितेश पिता शंकरलाल जैन जाति जैन निवासी लोहारीया. तहसील बांसवाडा।
(2) शैलेश पिता शंकरलाल जैन जाति जैन निवासी लोहारीया तहसील गढी जिला बांसवाडा।
(3) सागर देवी पत्नि शंकरलाल जैन जाति जैन निवासी लोहारीया तह तहसील गढी जिला बांसवाडा।
(4) हिमेश पिता शंकरलाल जैन जाति जैन निवासी लोहारीया तहसील गढी जिला बांसवाडा।
(5) तहसीलदार, गढी तहसील गढी जिला बांसवाडा।

—: प्रतिवादीगण

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांकः 05.4.2022

प्रकरण का संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी के स्वामित्व की भुमि गांव लोहारीया मे आराजी नम्बर 6742/2 रकबा 0.05 हेक्टर स्थित है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण एक ही परिवार के होकर आराजी नम्बर 6742 के बटवारा होकर उक्त आराजी के 02 टूकडे होकर 6742/1 अप्रार्थी के आया तथा 6742/2 प्रार्थी के आया। वक्त तरमीम कर्मचारीयो द्वारा त्रुटी से प्रार्थी के कब्जे की भुमि में उक्त अप्रार्थी का नम्बर तरमीम कर दिया एवं अप्रार्थी के कब्जे मे प्रार्थी का नम्बर तरमीम कर दिया। जिस वजह से मौके पर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई है। राजस्व की उक्त त्रुटी को दुरस्त करने प्रार्थी कई दिनो से राजस्व कर्मचारीया के पास जा रहा है परन्तु प्रार्थी की समस्या का निदान करने की जगह टालमटोल कर रहे है। प्रार्थी के उक्त नक्षा ट्रेस में की गई त्रुटी को दुरस्त कर तरमीम शुद्धी करनें हेतु प्रार्थना—पत्र पेश हुआ।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण के नाम सम्मन जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 01 से 04 के सम्मन बाद तामील प्राप्त हुऐ। अप्रार्थी संख्या 01 से 04 अनुपस्थित। अप्रार्थी संख्या 05 तहसीलदार, गढ़ी का जवाब प्रस्तुत होकर कथन किया गया कि ग्राम लोहारिया की खाता संख्या 373 के सर्वे नम्बर 6742/2 रकबा 0.05 हे0 भूमि निर्मल कुमार—विनोद कुमार—मुकेश कुमार—पंकज कुमार पिता छगनलाल जैन के नाम खातेदारी में दर्ज रिकार्ड हैं। इसी अनुरूप ग्राम लोहारिया की खाता संख्या 171 के सर्वे नम्बर 6742/1 रकबा 0.09 हे0 भूमि हिमेश—शैलेष पिता शंकरलाल, श्रीमती सागर देवी पत्नि स्व0 श्री शंकरलाल जैन के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। उक्त खातेदार मौके पर अपने—अपने हिस्से की भूमि पर काबिज है। परन्तु लिपिकिय भूल से नक्शा तरमीम अदला—बदली हो गई है। जिसे मौका अनुसार 6742/1 के स्थान पर 6742/2 व 6742/2 के स्थान पर 6742/1 किया जाना अवगत कराया। प्रकरण में प्रार्थी अभिभाषक की बहस सुनी जाकर अप्रार्थी संख्या 01 से 04 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही का आदेश पारित किया गया।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, संलग्न राजस्व अभिलेख, तहसीलदार, गढ़ी की ओर से प्रस्तुत जवाब का संक्षिप्त अवलोकन कर [illegible] प्रार्थी अभिभाषक की बहस पर मनन किया जाकर पटवार हल्का लोहा[illegible] 6742/1 के स्थान पर सर्वे नम्बर 6742/2 तथा सर्वे नम्बर 6742/2 के स्थान पर सर्वे नम्बर 6742/1 अंकित किया जाने का तहसीलदार, गढ़ी को आदेश दिया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 05.4.2022 को जारी किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanuman Singh Rathore
Date: 2022.04.27 11:50:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(हनुमान सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी

Scanned by CamScanner